अरहर की आसमान छूती कीमतों पर अरबों रूपए का खेल हो गया

अहमदाबाद (म.मो.)गुजरात के कुछ बड़े सिंडिकेट ने अफ्रीकी देशों से 40-50 रूपए किलो की अरहर देश में 170-175 में बेचकर रातों रात चार गुना मुनाफा कमाया है, इन सिंडिकेटों के तार नामी गिरामी नेताओं से जुड़े हैं जिसके चलते जांच एजेंसियां इनपर हाथ नही रख पा रही हैं।

केन्या से आपरेट हो रहे हैं सिंडिकेट

सूत्रों के मुताबिक केन्या और तंज़ानिया में सक्रिय कई अप्रवासी भारतीय व्यापारियों ने मोजांबिक और मलावी जैसे गरीब देशों से बड़े पैमाने पर अरहर की दाल पिछले कुछ महीनों में भारत निर्यात की है, ये व्यापारी अफ्रीकी देशों की सरकारों के साथ मिल कर अरबों रूपए की कमाई कर रहे हैं, छोटे छोटे देश निर्यात के लिए हर तरह की कानूनी छूट भी दे रहे हैं। मोजांबिक और मलावी अफ्रीका के वो देश हैं जहाँ निर्यात के लिए अरहर और अन्य दालों का उत्पादन किया जा रहा है, इंडिया संवाद ने फ़ोन 00258 262 139 44 पर मोजांबिक में एक भारतीय निर्यात कम्पनी से दालों के रेट के बारे में बात की, फ़ोन पर कम्पनी के एजेंट ने बताया की भारी मात्रा में पिजन पी यानी अरहर की दाल उनके पास स्टॉक में है और उनसे इम्पोर्ट करने के लिए उनके दुबई स्थित दफ्तर में हम आर्डर दे सकते हैं, एजेंट ने ये भी बताया की पिछले कुछ दिनों में मोजांबिक से दाल भारत निर्यात की गयी है, एजेंट ने कहा की उनकी कम्पनी मजहूवतसक का एक दफ्तर मुंबई में भी है और बाकी ट्रेडिंग की जानकारी वहां से ली जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक मजहूवतसक के रुप सीओ जयेश पटेल दालों का आयात निर्यात भी देखते हैं, हालांकि इंडिया संवाद के पास जयेश पटेल के मुनाफा कमाने का कोई हिसाब किताब या दस्तावेज़ नही है पर जानकारी के मुताबिक उनकी कम्पनी अफ्रीका की बड़ी एग्रो एक्सपोर्ट ग्रुप में एक है और भारत में उनका बड़ा नेटवर्क है, बिना साक्ष्य हम जयेश पटेल की मजहूवतसक को इस पूरे स्कैंडल में कसूरवार नही ठहरा सकते क्यूंकि गुजरात के कई और एग्रो बेस्ड ग्रुप अफ्रीका से दालों का इम्पोर्ट कर रहे हैं।

मोजांबिक में अभी भी अरहर 50 से 55 रूपए किलो

बहरहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि मोजांबिक में अभी भी अरहर 50 रूपए किलो से कम है और आयात करने पर दाल का दाम 55 रूपए से ज्यादा नही होना चाहिये, सवाल ये है कि इतनी सस्ती दाल आखिर भारत में आयात करके इतनी महंगी क्यों बेची जा रही है। उधर गुजरात से मिली जानकारी के मुताबिक अडानी के मुंद्रा बंदरगाह पर पिछले कुछ महीनो में विदेश से काफी सारे एग्रो प्रोडक्ट जिसमे दालें भी शामिल है आयात की गई है, ऐसा कहा जा रहा है की गुजरात के एक बड़े सिंडिकेट ने दाल का बड़ा कन्साइनमेंट भूमिगत कर रखा है और जब दाल का दाम 150 के ऊपर पहुंचा तो कन्साइनमेंट को बाजार में उतारा गया, एक तरह से ये सीधे सीधे चोरबाजारी है, लेकिन सिंडिकेट के सत्ता से तार जुड़े होने के कारण पुलिस इस सिंडिकेट को बेनकाब नही कर पा रही है।

विधायक विपुल: अपने मुंह मियां मिट्ठू

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय विधायक विपुल गोयल ने दिनांक 18 अक्टूबर को अपनी (भाजपा) सरकार का एक साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। इसके लिये बाकायदा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी उपब्धि-सेक्टर 12 के टाऊन पार्क में 250 फ़ीट ऊंचा झंडा गाड़ने को बताया गया। उनके अनुसार इसके द्वारा एक विश्व रिकार्ड बन गया है जिससे पूरी दुनिया में फ़रीदाबाद का नाम रोशन हो गया है।

सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि हरियाणा भर में झंडे गाड़ने से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले नवीन जिंदल ने इन्हीं झंडों व अपनी अकूत दौलत के बल पर 10 वर्ष तक कुरूक्षेत्र से संसद सदस्यता कायम रखी। इसी सदस्यता के दम पर नवीन जिंदल ने अपना लौह व्यापार भी खूब बढाया। वे इतने अंधे हो गये थे कि तमाम कायदे कानून भूल गये और उसके परिणामस्वरूप अब आपराधिक मुकदमों में लपेटा खा रहे हैं। विपुल ने दूसरी बड़ी उपल्बिध बताई कि शहर की तमाम सड़कें अब ठीक हो गयी हैं। इसके लिये उन्होंने 98 करोड़ रुपये सरकार से खर्च कराये। शहर भर की कितनी सड़कें इस अवधि में ठीक हुई या खराब हुई यह किसी शहरी से छिपा नहीं है। सवाल यह गंभीर है कि क्या विधायक शहर की सड़कें बनवाने के लिये चुना जाता है या राज्य के विधायी कार्यों तथा राज्य सरकार की कार्यशैली पर नज़र रखने के लिये? सड़क, नाली, पानी व झाड़ू-सफ़ाई को देखने के लिये नगर निगम व उसके पार्षद होते हैं। रही बात 98 करोड़ खर्च करने की तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले नगर निगम व हूडा हज़ारों करोड़ रुपये इस शहर पर खर्चे दिखा चुके हैं। कभी यमुना एक्शन प्लान के तो कभी जवाहर लाल के तो कभी गुड़गाव नगर निगम से उधार के तो कभी अपनी जायदादें बेचने के। सवाल सबसे बड़ा यह आज तक अनसुलझा है कि यह इतनी बड़ी रकमें आखिर जा कहां रही हैं?

विपुल गोयल यदि 98 करोड़ खर्च कराने की अपेक्षा विकास कार्यों के नाम पर होने वाली लूट एवं खुली डकैती को रोकने का प्रयास करते तो शहर की जनता को वास्तव में लाभ होता। मान लिया कि विपुल ने सड़कें बनवा दी और यह भी मान लिया जाय कि वे न होते तो ये सड़कें कभी न बनती परन्तु सवाल यह भी है कि जब सीवर ठीक से नहीं चलेंगे जल निकासी का उचित प्रबन्ध नहीं होगा तो एक-दो बरसात के बाद इन सड़कों का वही हाल होगा जो पहले हुआ था। चार बूंद बरसते ही पूरे शहर की जो दुर्दशा होती है, सड़कों पर ट्रेफ़िक थम जाता है, उसका कोई इलाज विपुल जी करते तो शहरवासियों को कोई राहत मिल पाती। लेकिन ऐसे काम इनके बस के नहीं हैं।

तीसरा बड़ा काम विधायक ने पेड़ लगाने का बताया। विदित है कि पेड़-पौधे लगाने के लिये करोड़ों रुपये के बजट वाले बागवानी के महकमे नगर निगम व हूडा ने पाल रखे हैं। इनके अतिरिक्त इनसे भी बड़ा एक महकमा, वन विभाग राज्य सरकार ने पाल रखा है। जनता-जनार्दन से चंदे एकत्र करके पेड़ लगाने की अपेक्षा विधायक महोदय को इन महकमों की रिश्वतखोरी एवं हरामखोरी रुकवा कर इनसे काम लेकर पेड़-पौधे लगवाने चाहिये थे। जीटी रोड को बीपीटीपी से जोड़ने वाली सेक्टर 15 व 12 की विभाजक सड़क पर छः-छः हज़ार रुपये के 150 बड़े-बड़े दरख्त लगा कर जो धन की बर्बादी की गयी है उसे विधायक महोदय अपनी खास उपलब्धि बता रहे हैं। विधायक महोदय यदि भूले न हों तो 8 माह पूर्व उन्होंने शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों व गायों को हटाने का दावा किया था; लेकिन आज तक न तो कोई कुत्ता और न कोई गाय किसी सड़क से हटी है। बन्दरों का उत्पात अलग से बढता जा रहा है। कुत्ते काटे के करीब 12000 मरीज़ बीके अस्पताल में तथा इतने ही ईएसआई अस्पतालों में प्रतिवर्ष आते हैं। बीके अस्पताल में आने वाले मरीज़ का इस पर कम से कम 400 रुपये खर्च होते हैं तथा ये सभी समाज के ग़रीब तबके से होते हैं, क्योंकि अमीरों को अव्वल तो कुत्ते काटने की परिस्थितियां बनती नहीं और यदि कोई काट भी जाये तो वह प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराता है। इसी तरह सड़कों पर घूमती गायों व सांडों से भी आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। इसके अलावा रात में सड़कों से गाय उठाने वालों के साथ जो झड़पें होती हैं वे अलग से। सरकारी स्कूली शिक्षा में सुधार का जिक्र करते हुए विधायक जी ने इसे अगले वर्ष के एजेंडे में डाल दिया है। अब देखना है कि वे इस क्षेत्र में क्या करामात दिखाते हैं। चिकित्सा, बिजली, राशन डिपो, मंहगाई, ट्रांसपोर्ट, प्रदूषण, कानून व्यवस्था और सरकारी भ्रष्टाचार आदि तो उनके एजेंडे पर कहीं है ही नहीं।

दनकौर कांड का असल दोषी कौन ?

विशेष संवाददाता

दनकौर काण्ड में टीम दनकौर ने दिनांक 08, 09, 10, 11, अक्टूबर 2015 को गाँव अट्टा गुजराल जेल, स्थानीय लोगो, सामाजिक कार्यकर्ताओं थाना पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर, केस के विवेचक के आलावा पीड़ित परिवार और गाँव के कुछ सभ्रांत लोगो से उक्त काण्ड की सच्चाई जानने की कोशिश की!

टीम दनकौर का नेतृत्व डॉ. जय श्री ने किया। प्रतिनिधि मंडल में डॉ0 जय श्री ;दिल्ली नानक चन्द, मेरठ, डॉ0अवधेश ;दिल्ली, अनुज बौद्ध, वी0 पी0 सिंह, मदन ओम राय, गुलाब सिंह, अजय मोनी, कपिल कुमार;हापुड़, अशोक टॅक्सालिया, जितेंद्र कुमार कृष्ण गोपाल मेरठ, कपिल गौतम मु0 नगर शामिल थे।

हांलाकि इसके बाद अनेक सामाजिक संस्थाओं के नेताओं ने भी उक्त गाँव का दौरा किया लेकिन कौम के कुछ महान नेताओ ने स्थानीय पुलिस को क्लीन चिट देते हुए पीड़ित परिवार को ही गुनाहगार यानि दोषी ठहरा दिया और पीड़ित परिवार पर ही रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने तक का फरमान सुना डाला ! इस सम्बन्ध में टीम दनकौर के निम्नानुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सवाल हैं !

1. पीड़ित परिवार की गाँव के जंगल में कुल लगभग 8 बीघा जमींन है, जिसमे से लगभग डेढ बीघा जमींन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके विषय में पीड़ित परिवार ने 29.9.2015 को अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही पीड़ित परिवार को अब तक उसके हक़ की जमींन पर कब्जा दिलवाया गया !
   .....क्या इस कृत्य के लिए दोषी पीड़ित परिवार है पुलिस दोषी नही है?
2. दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को शाम लगभग 7 बजे खेत में पानी देते समय पीड़ित परिवार से लुटेरों ने मोटर साईकल, मोबाइल व् कुछ नगदी लूट ली, जिसकी रिपोर्ट लिखाने वे उसी रात को थाना दनकौर गए और रिपोर्ट दर्ज करने की प्रार्थना की, किन्तु पुलिस ने उस रात कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की !
   ...क्या इस कृत्य के लिए पीड़ित परिवार गुनाहगार या दोषी है?
3. पीड़ित परिवार के दिनांक 05 अक्टूबरए 06 अक्टूबर व् 07 अक्टूबर 2015 को लगातार थानाध्यक्ष द्वारा लूट की रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के विरोध में पुलिस के खिलाफ पीड़ित परिवार ने दनकौर कस्बे में अपनी ही दुकान पर ;जो थाने के समीप ही है धरना देने का निर्णय लिया, जिसके बारे में पुलिस को अवगत करा दिया गया था !
   ...क्या अपनी ही दुकान पर धरना देने के निर्णय से पीड़ित परिवार को गुनाहगार या दोषी ठहराया जा सकता है ?
4. धरने स्थल पर पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहय्या करने के बजाय पुलिस अपनी दमनकारी नीति के तहत पीड़ित परिवार को ही हिरासत में लेने पहुँच गई! जब गिरफ्तारी का विरोध पीड़ित परिवार ने किया तो धरने पर बैठी पीड़ित परिवार की तीन महिलाओं और दो पुरुषों के कपडे पुलिस की हाथापाई में फट गए और वे नग्न हो गए !
   ...क्या पुलिस की हाथापाई में फटे कपड़ो के कारण नग्न हुए पीड़ित परिवार को गुनाहगार ठहराया जा सकता है?
5. कुछ महान नेताओं का कहना है कि पीड़ित परिवार ने खुद ही कपडे उतारे ! यदि उनकी बात मान भी ली जाये तो.....यह प्रश्न विचारणीय है कि पीड़ित परिवार अपने कपडे उतारने के लिए क्यों मजबूर हुआ?
   ...क्या इसके लिए मजबूर पीड़ित परिवार रासुका जैसी धारा लगाये जाने का दोषी है ?
6. जब थानाध्यक्ष को पूर्व सूचना थी कि धरने पर महिलाये और बच्चे बैठे है, तो उनकी गिरफ्तारी करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी के बिना आदेश प्राप्त किये वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पीड़ित परिवार को किस हैसियत से जबरन गिरफ्तार करने धरना स्थल पर पहुँच गया।
   ...क्या इस कृत्य के लिए पुलिस निर्दोष और पीड़ित परिवार गुनाहगार या दोषी है?
7. यदि थानाध्यक्ष को पीड़ित परिवार की महिलाओं व बच्चो की गिरफ्तारी बिना किसी आदेश के जबरन करनी भी थी, तो बिना महिला पुलिसकर्मियों को साथ में लिए थानाध्यक्ष क्यों धरना स्थल पर गया। कानूनन बिना महिला पुलिसकर्मियों के किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता !
   ...क्या इस कृत्य के लिए थानाध्यक्ष निर्दोष और पीड़ित परिवार गुनाहगार या दोषी है ?
8. थानाध्यक्ष और अन्य कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी पहने धरना स्थल पर पीड़ित परिवार को गिरफ्तार करने पहुँच गए !
   ...क्या इस कृत्य के लिए पुलिस निर्दोष और पीड़ित परिवार गुनाहगार या दोषी है ?
9. पीड़ित परिवार की तीन महिलाओं, उनके दूध पीते तीन बच्चो और दो पुरुषों को बिलकुल नग्न अवस्था में धरना स्थल से थाने तक जीप में पशुओं की तरह स्वयं थानाध्यक्ष व् अन्य पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा ले जाया गया और सभी को नग्न अवस्था में ही थाने के लॉक.अप में पशुओं से भी बदतर हालत में एक साथ रखा गया !
   ...क्या इस कृत्य के लिए पुलिस निर्दोष और पीड़ित परिवार गुनाहगार या दोषी है ?
10. पुलिस थाने के लॉकअप में बंद करके थानाध्यक्ष व् अन्य पुलिकर्मियों ने पीड़ित परिवार की नग्न अवस्था में महिलाओं और पुरुषो व दूध पीते बच्चो को लात.घूंसों और डंडो से अमानवीय यातनाये दीं !
    ...क्या इस कृत्य के लिए पुलिसकर्मी निर्दोष और पीड़ित परिवार गुनाहगार या दोषी है?
11. सच्चाई यह है कि धरना स्थल पर केवल थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों ने पीड़ित परिवार के साथ हाथापाई और मारपीट की जबकि पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मु0अ0स0 556-2015 में धारा 147, 148, 294, 323, 324, 332, 353, 394ए, 307 व 7 पुलिस क्रिमिनल लॉ एक्ट व मु0अ0सं0557-201अन्तर्गत धारा 341, 504, 294 जैसी संगीन धारायें लगाकर पीड़ित परिवार की तीन महिलाओं, तीन बच्चो और दो पुरुषों को जेल भेज दिया गया !
    ...क्या इस कृत्य के लिए पुलिस निर्दोष और पीड़ित परिवार गुनाहगार या दोषी हैं ?
12. पीड़ित परिवार के साथ जो 05 अक्टूबर 2015 को लूट की घटना हुई थी ! उन लुटेरों को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है !
    ...क्या इस कृत्य के लिए पुलिस निर्दोष और पीड़ित परिवार गुनाहगार या दोषी है?
13. जब कोई अपराधी देश के साथ गद्दारी या युद्ध करने छेड़ने की चेष्टा करता है तब उस पर रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी गंभीर धाराए लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है ! किंतु ऐसा कोई कृत्य पीड़ित परिवार द्वारा तो नहीं किया गया ! फिर भी पीडित परिवार पर ही कुछ महान नेताओं ने बगैर किसी स्वतंत्र गवाह पीडित परिवार के किसी सदस्य के बयान लिये, न ही जेल में बंद लोगो से मिलकर बात की और कर दी रासुका लगाने की मांग संस्तुति !
    या पीड़ित परिवार वास्तव में रासुका लगाये जाने का गुनाहगार या दोषी है?
14. जिस प्रकार अनुसूचित जाति के एक महान सपा सांसद श्री यशवीर धोबी ने संसद में आरक्षण बिल फाड़कर अपने नेता के प्रति कृतज्ञता गुलामी प्रकट करते हुए कौम के साथ गद्दारी की थी, ठीक उसी प्रकार कुछ महान नेता दनकौर के पीड़ित परिवार को ही दोषी बताकर अपने नेता के प्रति कृतज्ञता गुलामी प्रकट करते हुए कौम के साथ गद्दारी कर रहे है !
    ...क्या इस कृत्य के लिए पीड़ित परिवार को गुनाहगार या दोषी ठहराया जा सकता है?
15. समाज के कुछ नेता अपनी.अपनी ढपली और अपना.अपना राग कहावत के तहत कार्यवाही करके अपने.अपने संगठन को हाई.लाइट करने का प्रयास कर रहे हैं ! क्या इस प्रकार के कृत्य करने से पीड़ित परिवार को समुचित इन्साफ कभी मिल सकेगा?
    ...क्या इस कृत्य के लिए पीड़ित परिवार को गुनाहगार या दोषी ठहराया जा सकता है ?
    ...अंत में अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दनकौर कांड का असली गुनाहगार या दोषी कौन ?